

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 344/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 07.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

1. थाना गंभीरपुर- शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री को हरीश पुत्र छोटेलाल निवासी मंगरावां रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। जिसके बारे में जानकारी होने पर जब वादी अभियुक्त के घर पहुँचने के लिए गया तो अभियुक्त के पिता द्वारा वादी को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-256/2024 धारा-137(2)/87/352/351(2) बीएनएस बनाम 1. हरीश पुत्र छोटेलाल निवासी मंगरावां रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. छोटेलाल पुत्र अज्ञात निवासी मंगरावां रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा-64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 07.11.2024 को व0उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. हरीश पुत्र छोटेलाल निवासी मंगरावां रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.25 बजे पटेल ढाबा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



2.*थाना जहानागंज:-चोरी की घटना कारित करने वाले 03 बाल अपचारी चोरी किये गये सामान के साथ पुलिस अभिरक्षा में*

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.11.2024 को वादी सोनू राजभर पुत्र रामाश्रय राजभर सा0 मुस्तफाबाद (सीही) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 04.11.24 को कुछ लडकों द्वारा वादी के ट्यूबवेल से पंखा व इंजन का सामान चोरी कर लिया गया व वादी द्वारा लडकों से पूँछने पर लडकों द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 574/2024 धारा 303(2), 351(2) बीएनएस बनाम 03 नफर (बाल अपचारी) व एक अभियुक्त नाम,पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।


गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 7.11.2024 को व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 03 बाल अपचारी को महुआमुरारपुर से नाजिरपुर सरया जाने वाले मेन रोड़ से समय करीब 01.40 बजे चोरी किये गये एक अदद ट्यूबवेल का पंखा मय इन्जन का सेट, व एक अदद ल्यूमिनस की बैटरी 150 AH , व एक अदद स्टेपलाइजर सफेद जिस पर आटो कट बोल्तेज अंग्रेजी मे लिखा है पेन्ट किया हुआ, व एक अदद साउण्ड बाक्स Saicom tm कम्पनी का व एक अदद सिटिजन कैलकुलेटर, एक अदद समरसेबल मोटर xd90al wash motor मय टूटा हुआ मय तार लगा हुआ व एक अदद प्लास्टिक का सफेद रंग का कूलर जिस पर अंग्रेजी मे लेजर व फ्रोस्ट एयर कूलर के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदशुदा सामान के बारे में पूँछने पर ज्ञात हुआ कि एक अदद ल्यूमिनस की बैटरी 150 AH जो मु0अ0सं0 331/24 धारा 457/380 भादवि में चोरी गया सामान है व बरामद एक अदद स्टेपलाइजर सफेद पेन्ट किया हुआ, व एक अदद प्लास्टिक का कूलर सफेद कलर मु0अ0सं0 486/24 धारा 305 बीएनएस व एक अदद साउण्ड बाक्स Saicom tm व एक अदद सिटिजन कैलकुलेटर, मु0अ0सं0 518/24 धारा 305/331(4) बीएनएस व बरामद एक अदद समरसेबल मोटर मय टूटा हुआ मय तार मु0अ0सं0 500/24 धारा 303(2), बीएनएस से संबंधित है।

आपराधिक इतिहास:-

तीनों बाल अपचारी का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 331/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 486/24 धारा 305/ 317(2) बीएनएस थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 500/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 518/24 धारा 305/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना जहानागंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 574/2024 धारा 303(2), 351(2) बीएनएस थाना जहानागंज आजमगढ़



03. थाना कोतवाली:- चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 28.05.2024 को वादी अखिलेश राय पुत्र रामदुलारे राय निवासी माहुल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी जो दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में अधिवक्ता है का मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 15.05.2024 चोरी कर लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 328/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किय गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 07.11.2024 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त साजन गौतम पुत्र राजेन्द्र निवासी बरईपुर थाना अहरौला आजमगढ़ को समय 12.00 बजे गांधी तिराहा से चोरी की 01 अदद मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय क्रिया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/20 धारा 376 भादवि व 3 /4 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 328/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़



4. थाना सिधारी:- चोरी के 36 वालिस्त कटीले लोहे के तार के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.11.2024 को वादी मुकदमा सौदागर पुत्र स्व0 श्यामलाल व इन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामप्रसाद साकिनान ग्राम पल्हनी थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के खेत में लगाये गये तार एवं ईंट की दिवाल को क्षतिग्रस्त करके तार व ईंट के खूँटा को चोरी कर उठा ले जाया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 426/2024 धारा 324(4)/303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 7.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक विरेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान है ग्राम चालीसवा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 29 साल को पल्हनी सरकारी स्कूल के पीछे से चोरी के कटिले लोहे का पुराना तार के साथ समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास -

- 1 - मु.अ.स. 426/24 धारा 324(4)/303(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
- 2 - मु.अ.स. 431/22 धारा 379/411/413 थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3 - मु.अ.स. 474/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 4 - मु.अ.स. 329/24 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 5 - मु.अ.स. 354/24 धारा 3/25 ए एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 6- मु.अ.स. 10/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामबाद आजमगढ़
7. मु.अ.स. 22/21 धारा 340/411/457 भादवि थाना निजामबाद आजमगढ़
- 8 - मु.अ.स. 27/21 धारा 401/411 भादवि व 3/25 ए एक्ट थाना निजामबाद आजमगढ़
- 9.मु.अ.स. 221/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना फुलपुर आजमगढ़
- 10- मु.अ.स. 273/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 11-मु.अ.स. 278/22 धारा 411/413/420/465 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
12. मु.अ.स. 279/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 13.मु.अ.स. 284/23 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 14.मु.अ.स. 161/17धारा 380/457/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 15.मु.अ.स. 256/17 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 16.मु.अ.स. 5/18 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 17-मु.अ.स. 144/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 18- मु.अ.स. 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 19-मु.अ.स. 150/24 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 20- मु.अ.स. 338/22 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 21- मु.अ.स. 1029/2009 धारा 380/411 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

